उद्यमी बनना है...बिना ब्याज मिल रहा कर्ज

संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ। अगर आप बेरोजगार युवा हैं और उद्यम शुरू करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद उपयोगी है। सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत राज्य सरकार युवाओं को बिना बैंक गारंटी और ब्याज के पांच लाख रुपये तक का कर्ज दिला रही है। इसके लिए शनिवार से आवेदन भी शुरू हो गए हैं।

उपायुक्त उद्योग मनोज चौरसिया ने बताया कि सीएम युवा उद्यमी योजना में 5 लाख तक ही कर्ज मिलेगा। न्यूनतम शिक्षा आठवीं पास और उम्र सीमा 40 वर्ष तक रखी गई है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के उद्यम के लिए कर्ज मिलेगा। 10 प्रतिशत की सब्सिडी भी मिलेगी।

उदाहरण के तौर पर अगर किसी प्रोजेक्ट की लागत 5 लाख रुपये है, तो उस पर सरकार 10 प्रतिशत सब्सिडी देगी। यानी कर्ज लेने वाले कोइ 4.5 लाख रुपये ही लौटाने होंगे।

05 लाख रुपये तक कर्ज सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत बिना गारंटी पा सकते हैं

सीएम युवा स्वरोजगार योजना भी

योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए वर्ष 2018 में सीएम युवा स्वरोजगार योजना शुरू की थी। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख तो सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपये तक के कर्ज की व्यवस्था है। इसमें बैंक गारंटी जमा करने के बाद 6 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होता है।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

msme.up.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। बड़े उद्यम (25 या 10 लाख तक) स्थापित करने के लिए सीएम युवा स्वरोजगार योजना व छोटे उद्यम (5 लाख) तक के उद्यम स्थापित करने के लिए सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।